



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30012021-224833
CG-DL-E-30012021-224833

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 47]
No. 47]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 29, 2021/माघ 9, 1942
NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 29, 2021/MAGHA 9, 1942

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 जनवरी, 2021

सा.का.नि. 56 (अ).—केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 निम्नलिखित प्रारूप नियम, जिसे केंद्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 110 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कुछ नियमों में और संशोधन करने का प्रस्ताव करती है, को उक्त अधिनियम की धारा 212 की उप-धारा (1) द्वारा यथापेक्षित उनके द्वारा संभाव्य प्रस्तावित सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है और नोटिस दिया जाता है कि उक्त प्रारूप नियमों पर उस तारीख से जब इस अधिसूचना की प्रतियां, भारत के राजपत्र में यथाप्रकाशित, आम जनता को उपलब्ध कराई जाती हैं, से तीस दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् विचार किया जाएगा।

इन प्रारूप नियमों के बारे में आपत्तियां या सुझाव, यदि कोई हो, संयुक्त सचिव (एमवीएल, परिवहन, टोल), सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, 1, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 को भेजे जा सकेंगे अथवा comments-morth@gov.in पर ई-मेल किए जा सकेंगे।

उक्त प्रारूप नियमों के बारे में आपत्तियां या सुझाव, जो किसी व्यक्ति से इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के भीतर प्राप्त किए जाते हैं, पर केंद्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

प्रारूप नियम

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ - (1) इन नियमों को केंद्रीय मोटर यान (..... संशोधन) नियम, 2021 कहा जा सकता है,

(2) बशर्ते, इन नियमों में यथा निहित के अलावा, ये नियम सरकारी राजपत्र में इनके अंतिम प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. केंद्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 (इसके पश्चात् उक्त नियमों के रूप में उल्लिखित) में नियम 115-कक के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्: -

"115 कख-सीएनजी, जैव -सीएनजी, एलएनजी से चालित कृषि ट्रैक्टरों, पावर टिलरों, निर्माण उपकरण वाहनों और कंबाइन हार्वेस्टरों के लिए मास उत्सर्जन मानक -

(I) इन यूज डीजल वाहन के इंजनों में सुधार कर रूपांतरण के लिए

(क) कृषि ट्रैक्टरों, पावर टिलरों, निर्माण उपकरण वाहनों और कंबाइन हार्वेस्टरों के मामले में समर्पित सीएनजी / जैव -सीएनजी / एलएनजी संचालन के लिए रेट्रोफिट डीजल इंजन का टाइप अनुमोदन वाहन के विशिष्ट मेक और मॉडल के लिए दिया जाएगा और कृषि ट्रैक्टरों, पावर टिलरों, निर्माण उपकरण वाहनों और कंबाइन हार्वेस्टरों के सीएनजी या जैव-सीएनजी या एलएनजी इंजन के लिए मास उत्सर्जन मानक इस अपवाद के साथ कि मापन के आधार पर नियम 115 कक में विस्तार से दिए गए अनुसार एचसी (हाइड्रोकार्बन) को एनएमएचसी (गैर-मीथेन हाइड्रोकार्बन) द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा के साथ कृषि ट्रैक्टरों, पावर टिलरों, निर्माण उपकरण वाहनों और कंबाइन हार्वेस्टरों के डीजल इंजनों के लिए लागू प्रचलित मास उत्सर्जन मानकों के अनुसार अनुमोदित होगा।

(ख) इन नियमों के तहत द्रव्य कणिका और नजर आने वाले प्रदूषकों के कणों (धुएं) के उत्सर्जन के लिए परीक्षण लागू नहीं होगा,

(ग) विशिष्ट इंजन क्षमता के लिए वाहन पर स्वीकृत सीएनजी / जैव सीएनजी/ एलएनजी किट को वाहन के विशिष्ट मेक और मॉडल तथा उसी क्षमता वाले इंजन के साथ लगे इसके वेरिएंटों पर लगाया जा सकता है,

(घ) उत्सर्जन करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सीएनजी / जैव-सीएनजी / एलएनजी संयोजन को समय-समय पर केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित ईंधन विनिर्देशों का अनुपालन करना होगा,

(ङ.) सीएनजी / जैव -सीएनजी / एलएनजी संचालन के लिए रेट्रोफिट होने पर यांत्रिक रूप से नियंत्रित और इलेक्ट्रॉनिक रूप से नियंत्रित डीजल ईंधन भरे वाहनों के लिए अलग टाइप की स्वीकृति की आवश्यकता होती है।

(च) "इन-यूज" वाहनों पर रेट्रोफिटमेंट के लिए टाइप स्वीकृति और सीओपी की जिम्मेदारी किट निर्माता या आपूर्तिकर्ता की होगी। प्रचलित सीओपी प्रक्रिया भी लागू होगी।

(छ) प्रतिस्थापन इंजन के लिए सीएनजी या जैव-सीएनजी या एलएनजी का टाइप अनुमोदन, टाइप अनुमोदन प्रमाण-पत्र जारी करने की तारीख से तीन वर्ष तक के लिए वैध होगा और एक समय में 3 वर्ष के लिए पुनःनवीनीकरण कराए जाने लायक होगा।

(ज) ओ.ई. या 'इन-यूज डीजल वाहन' के रेट्रोफिटमेंट के अनुसार सीएनजी / जैव -सीएनजी / एलएनजी इंजन (डीजल इंजन से परिवर्तित) लगे कृषि ट्रैक्टर, पावर टिलर, निर्माण उपकरण वाहन / कंबाइन हार्वेस्टर को टाइप अनुमोदन प्रदान करने के प्रयोजनार्थ परीक्षण एजेंसियों द्वारा नीचे दी गई तालिका के अनुसार निम्नलिखित परफॉरमेंस परीक्षण किए जाएंगे, अर्थात्

परीक्षण	संदर्भ दस्तावेज़ (समय-समय पर संशोधित किए गए अनुसार)
1.	(2)
(i) मास उत्सर्जन परीक्षण	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय/ सीएमवीआर/ टीएपी-115/116 और इस संबंध में भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी की गई अधिसूचनाएं
(ii) इंजन परफॉरमेंस का परीक्षण (सकल क्षमता-पंखे के बगैर)	भाग IV सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय/ सीएमवीआर / टीएपी-115/116 और इस संबंध में भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी की गई अधिसूचनाएं

नोट: (क) मास उत्सर्जन परीक्षण इंजन डाइनेमोमीटर पर किया जाएगा, जैसा लागू हो।

(ख) केंद्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 के नियम 126 में उल्लिखित वाहनों को टाइप अनुमोदन प्रदान करने की पेशकश करने वाली परीक्षण एजेंसी को इन नियमों के तहत यथा-लागू फिटनेस आवश्यकता का पालन करना होगा;

(ग) सीएनजी / जैव -सीएनजी / एलएनजी वाहनों, किट पुरजो, जिसमें इन्हें लगाना शामिल है, की परीक्षण प्रक्रिया और सुरक्षा दिशा-निर्देश समय-समय पर यथा-संशोधित अनुलग्नक IX एआईएस 024 और एआईएस 028 (संशो.1) के अनुसार होंगे।

(घ) परीक्षण एजेंसी परीक्षण पूरा करेगी और परीक्षण के लिए प्रस्तुत किए जाने के तीन महीने के भीतर आवश्यक प्रमाण पत्र देगी,

(ई) परीक्षण एजेंसियों को विशेष रूप से उन मॉडलों और उनके वेरिएंटों को प्रदर्शित करना आवश्यक होगा, जिन पर नए इंजन का प्रतिस्थापन मान्य होगा।

(II) नए समर्पित सीएनजी / जैव सीएनजी/ एलएनजी इंजन द्वारा इन-यूज डीजल इंजन का प्रतिस्थापन:

(क) इन-यूज डीजल इंजन वाले कृषि ट्रैक्टरों, पावर टिलर्स, निर्माण उपकरण वाहनों और कंबाइन हार्वेस्टर्स के मामले में, जिसको संपीडित प्राकृतिक गैस (इसके बाद सीएनजी के रूप में उल्लिखित) या जैव- संपीडित प्राकृतिक गैस (इसके बाद जैव-सीएनजी के रूप में उल्लिखित या एलएनजी (तरलीकृत प्राकृतिक गैस) के साथ वाहन के विशिष्ट मेक और मॉडल के लिए टाइप अनुमोदन प्रदान किया जाएगा और प्रचलित मास उत्सर्जन मानदंडों के अनुसार अनुमोदित किया जाएगा। उत्सर्जन परीक्षण प्रक्रिया सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय / सीएमवीआर / टीएपी-115 / 116 (समय-समय पर यथा-संशोधित) और केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर लागू कानून के तहत अधिसूचित किए गए अनुसार होगी। कृषि ट्रैक्टरों, पावर टिलर्स, निर्माण उपकरण वाहनों और कंबाइन हार्वेस्टर्स के सीएनजी या जैव-सीएनजी या एलएनजी इंजन के लिए मास उत्सर्जन मानक इस अपवाद कि मापन के आधार पर नियम 115 कक में विस्तार से दिए गए अनुसार एचसी (हाइड्रोकार्बन) को एनएमएचसी (गैर-मीथेन हाइड्रोकार्बन) द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा, के साथ कृषि ट्रैक्टरों, पावर टिलर्स, निर्माण उपकरण वाहनों और कंबाइन हार्वेस्टर्स के डीजल इंजनों के लिए लागू प्रचलित मास उत्सर्जन मानकों के समान होगा।

(ख) विशिष्ट इंजन क्षमता के लिए वाहन पर स्वीकृत सीएनजी या जैव -सीएनजी या एलएनजी प्रतिस्थापन इंजन को वाहन के विशिष्ट मेक और मॉडल और उसी क्षमता के इंजन वाले इसके वेरिएंट पर लगाया जा सकता है;

- (ग) ऐसे सीएनजी, जैव -सीएनजी, एलएनजी किट पुरजे और इनको लगाना सहित, के लिए परीक्षण प्रक्रिया और सुरक्षा दिशानिर्देश, जब तक बीआईएस से संबंधित विनिर्देशों को अधिसूचित किया जाता है, उस समय तक यथा - लागू और समय-समय पर संशोधित किए गए एआईएस 024 और एआईएस 028 संशो. 01 के अनुसार होंगे;
- (घ) उत्सर्जन करने के लिए प्रयुक्त सीएनजी / जैव -सीएनजी / एलएनजी संयोजन को केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित ईंधन विनिर्देशों को पूरा करना होगा,
- (ङ.) सीएनजी या जैव -सीएनजी या एलएनजी इंजन या वाहन के लिए नियम 115कक में तय किए गए द्रव्य कणिका और नजर आने वाले प्रदूषकों (धुएं) के उत्सर्जन का परीक्षण लागू नहीं होगा।
- (च) 'इन-यूज़' वाहनों पर ओई प्रतिस्थापन इंजन और आफ्टरमार्केट प्रतिस्थापन इंजन के लिए टाइप अनुमोदन और सीओपी की जिम्मेदारी क्रमशः वाहन निर्माता और प्रतिस्थापन इंजन निर्माता या आपूर्तिकर्ता की होगी। प्रचलित सीओपी प्रक्रिया भी लागू होगी।
- (छ) प्रतिस्थापन इंजन के लिए सीएनजी या जैव-सीएनजी या एलएनजी का टाइप अनुमोदन, टाइप अनुमोदन प्रमाण-पत्र जारी करने की तारीख से तीन वर्ष तक के लिए वैध होगा और एक समय में 3 वर्ष के लिए पुनःनवीनीकरण कराए जाने लायक होगा।
- (ज) प्रतिस्थापन सीएनजी / जैव सीएनजी / एलएनजी इंजन लगे कृषि ट्रैक्टर, पावर टिलर, निर्माण उपकरण वाहन / कंबाइन हार्वेस्टर को टाइप स्वीकृति देने के प्रयोजनार्थ परीक्षण एजेंसियों द्वारा नीचे दी गई तालिका के अनुसार निम्नलिखित परफॉरमेंस परीक्षण किया जाएगा, अर्थात्

परीक्षण	संदर्भ दस्तावेज (समय -समय पर संशोधित किए गए अनुसार)
1.	(2)
(i) मास उत्सर्जन परीक्षण	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय/ सीएमवीआर/ टीएपी-115/116 और इस संबंध में भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी की गई अधिसूचनाएं
(ii) इंजन के परफॉरमेंस का परीक्षण (सकल क्षमता-पंखे के बगैर)	भाग IV सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय/ सीएमवीआर / टीएपी-115/116 जारी सं.3 और इस संबंध में भारत सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं (प्रतिस्थापन सीएनजी / जैव -सीएनजी / एलएनजी इंजन का परफॉरमेंस मूल डीजल इंजन (क्षमता, टॉर्क और गति सीमा) के परफॉरमेंस के बराबर होगा।

स्पष्टीकरण:

- (क) मास उत्सर्जन परीक्षण इंजन डाइनेमोमीटर पर किया जाएगा, जैसा लागू हो।
- (ख) नियम 126 में उल्लिखित वाहनों को टाइप अनुमोदन देने की पेशकश करने वाली परीक्षण एजेंसी को इन नियमों के तहत यथा लागू फिटनेस आवश्यकता का पालन करना होगा;
- (ग) ऐसे सीएनजी, जैव -सीएनजी, एलएनजी किट पुरजे और इनको लगाना सहित, के लिए परीक्षण प्रक्रिया और सुरक्षा दिशानिर्देश, जब तक बीआईएस से संबंधित विनिर्देशों को अधिसूचित किया जाता है, उस समय तक समय-समय पर संशोधित किए गए एआईएस 024 और एआईएस 028 (संशो. 01) के अनुसार होंगे।

(घ) परीक्षण एजेंसी परीक्षण पूरा करेगी और परीक्षण के लिए प्रस्तुत किए जाने के तीन महीने के भीतर आवश्यक प्रमाण पत्र प्रदान करेगी,

(ई) परीक्षण एजेंसियों को विशेष रूप से उन मॉडलों और उनके वेरिंटों को प्रदर्शित करना आवश्यक होगा, जिन पर नए इंजन का प्रतिस्थापन मान्य होगा।

[फा. सं. आरटी-11036/07/2021-एमवीएल]

अमित वरदान, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग- II, खंड 3, उप-खंड (i) की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. XXXX, दिनांक XXXXXX को प्रकाशित किए गए थे और पिछली बार संशोधन अधिसूचना संख्या सा.का.नि. xxxx दिनांक xx.xx.xxxx द्वारा किया गया था।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th January, 2021

G.S.R. 56(E).—The following draft of certain rules to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), is hereby published, as required by sub-section (1) of section 212 of the said Act for information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft rules shall be taken into consideration after the expiry of thirty days from the date on which the copies of this notification, as published in the Official Gazette, are made available to the public;

Objections and suggestions to these draft rules, if any, may be sent to the Joint Secretary (MVL, Transport, Toll), email: comments-morth@gov.in, Ministry of Road Transport and Highways, Transport Bhawan, Parliament Street, New Delhi-110 001.

The objections or suggestions which may be received from any person in respect of the said draft rules before the expiry of the aforesaid period will be considered by the Central Government.

DRAFT RULES

1. Short title and commencement - (1) These rules may be called as the Central Motor Vehicles (.....Amendment) Rules, 2021.

(2) Save as otherwise provided in these rules, they shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In the Central Motor Vehicles Rules, 1989 (herein after referred as the said rules), after rule 115-AA, the following rule shall be inserted, namely:-

“115 AB-Mass emission standards for CNG, Bio-CNG, LNG driven agriculture tractors, power tillers, construction equipment vehicles and combine harvesters.-

(I) For conversion by modification of engines of In-use Diesel Vehicle.

(a) In case of agriculture tractors, power tillers, construction equipment vehicles and combine harvesters, Type approval for diesel engine retrofitted for dedicated CNG/ Bio-CNG/LNG operation shall be given for specific make and model of the vehicle, and shall be approved as per the prevailing mass emission standards applicable for diesel engines of agriculture tractors, power tillers, construction equipment vehicles and combine harvesters, with the exception that the HC (Hydrocarbon) shall be replaced by NMHC (Non-Methane Hydrocarbon) on measurement basis, as detailed in rule 115 AA.

(b) Test for particulate matter and emission of visible pollutants (smoke) under these rules shall not be applicable,

(c) CNG/Bio-CNG/LNG kit approved on the vehicle for specific engine capacity can be installed on specific make and model of vehicle and its variants fitted with the same capacity engine,

- (d) The CNG/Bio-CNG/LNG composition used for carrying out emissions shall meet the fuel specifications as notified by the Central Government from time to time,
- (e) Separate type approval is required for mechanically controlled and electronically controlled diesel Fuel injected vehicles when retrofitted for CNG /Bio-CNG/LNG operation.
- (f) For retrofitment on “in-use” vehicles, the responsibility of the Type Approval and COP shall be that of the kit manufacturer or supplier. Prevailing COP procedure will also be applicable.
- (g) The type approval certificate of CNG or Bio-CNG or LNG for replacement engine shall be valid for three years from the date of the issue of type approval certificate and shall be renewable for 3 years at a time.
- (h) For the purpose of granting type approval to the agriculture tractor, power tiller, construction equipment vehicle / combine harvester fitted with CNG/Bio-CNG/LNG engine (converted from Diesel engine) as O.E. or retrofitment of ‘In-use diesel vehicle’, following performance Tests shall be carried out as per the table given below by the test agencies, namely

Test	Reference Document (as amended from time to time)
1.	(2)
(i) Mass emission test	MoRTH/CMVR/TAP-115/116 and notifications issued by the Government of India in this respect from time to time
(ii) Engine performance test (gross power -without fan)	Part IV MoRTH/CMVR/TAP-115/116 and notifications issued by the Government of India in this respect from time to time

Note: (a) The mass emission test shall be carried out on engine dynamometer, as applicable.

(b) Vehicles offered for type approval to the testing agency referred in rule 126 of Central Motor Vehicles Rules, 1989 shall have to comply with fitness requirement as applicable under these rules;

(c) Test procedure and safety guidelines of CNG/Bio-CNG/LNG vehicles, kit components including installation thereof, shall be as per Annexure IX AIS 024 and AIS 028(rev.1), as amended from time to time.

(d) The test agency shall complete the test and give necessary certificate within three months of the same being submitted for test,

(e) Testing agencies will be required to indicate specifically, the models and their variants on which the replacement of new engine will be valid.

(II) Replacement of In-use Diesel Engine by New dedicated CNG/ Bio-CNG/LNG Engine:

a) In case of agriculture tractors, power tillers, construction equipment vehicles and combine harvesters having in-use diesel engine which is replaced with a Compressed natural gas(hereinafter referred to as CNG) or Bio-Compressed natural gas ((hereinafter referred to as Bio-CNG) or LNG (Liquefied Natural Gas), Type approval shall be given for specific make and model of vehicle and shall be approved as per prevailing mass emission norms. Emission test procedure shall be as per MoRTH/CMVR/TAP-115/116 (as amended from time to time) and as notified by the Central Government from time to time under the applicable law. Mass emission standards for CNG or Bio-CNG or LNG engines of agriculture tractors, power tillers, construction equipment vehicles and combine harvesters shall be same as the prevailing mass emission standards applicable for diesel engines of agriculture tractors, power tillers, construction equipment vehicles and combine harvesters, with the exception that the HC (Hydrocarbon) shall be replaced by NMHC (Non-Methane Hydrocarbon) on measurement basis as detailed in rule 115 AA;

(b) CNG or Bio-CNG or LNG replacement engine approved on the vehicle for specific engine capacity can be installed on the specific make and model of vehicle and its variants fitted with the same capacity engine;

(c) Test procedure and safety guidelines for such CNG, Bio-CNG, LNG kit components, including installation thereof, shall be as per AIS 024 and AIS 028 Rev 01 as applicable and amended from time to time, till such time as corresponding BIS specifications are notified;

(d) The CNG/Bio-CNG/LNG composition used for carrying out emissions shall meet the fuel specifications as notified by the Central Government from time to time,

(e) Tests for particulate matter and emission of visible pollutants (smoke) stipulated in the rule 115AA shall not be applicable for CNG or Bio-CNG or LNG engine or vehicle.

(f) For OE replacement engine and aftermarket replacement engine on “in-use” vehicles, the responsibility of the Type Approval and COP shall be that of the vehicle manufacturer and replacement engine manufacturer or supplier respectively. Prevailing COP procedure will also be applicable.

(g) The type approval certificate of CNG or Bio-CNG or LNG for replacement engine shall be valid for three years from the date of the issue of type approval certificate and shall be renewable for 3 years at a time.

(h) For the purpose of granting type approval to the agriculture tractor, power tiller, construction equipment vehicle / combine harvester fitted with replacement CNG/Bio-CNG/LNG engine, following performance Tests shall be carried out as per the table given below by the test agencies, namely

Test	Reference Document (as amended from time to time)
1.	2
(i) Mass emission test	MoRTH/CMVR/TAP-115/116 and notifications issued by the Government of India in this respect
(ii) Engine performance test (gross power -without fan)	Part IV MoRTH/CMVR/TAP-115/116 issue no. 3 and notifications issued by the Government of India in this respect. ((Performance of the replacement CNG/Bio-CNG/LNG engine shall match with the performance of the original diesel engine (Power, torque and speed range)

Explanation:

- The mass emission test shall be carried out on engine dynamometer, as applicable.
- Vehicles offered for type approval to the testing agency referred in rule 126 shall have to comply with fitness requirement, as applicable under these rules.
- Test procedure and safety guidelines for such CNG/Bio-CNG/LNG vehicles, kit component including installation thereof shall be as per AIS 024, AIS 028 (rev.1) as amended from time to time, till such time as corresponding BIS specification are notified.
- The test agency shall complete the test and give necessary certificate within three months of the same being submitted for test,
- Testing agencies will be required to indicate specifically, the models and their variants on which the replacement of new engine will be valid.

[F.No. RT-11036/07/2021-MVL]

AMIT VARADAN, Jt. Secy.

Note.- The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i), vide notification number G.S.R.XXXX, dated the XXXXXX and lastly amended vide notification number G.S.R xxxx dated xx.xx.xxxx .